

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम 31 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) पद के विभिन्न विषयों के चयन हेतु आयोजित बैठक दिनांक 13.04.2026 में की गई अनुशंसा के आधार पर कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/डीपीसी/पी-1/कोच 2025/40757 दिनांक 18.04.2026, द्वारा निम्नांकित कार्मिकों को उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार कोच पद की चयन वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर एतद् द्वारा कोच (प्रशिक्षक खेलवार) स्कूल शिक्षा (एल-12) के पद पर चयन किया गया। चयनित सभी कार्मिकों को अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता अनुसार क्रमोन्नत मानते हुए यथावत कार्यग्रहण करने के निर्देश प्रदान किये गये।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-5/प्राध्यापक/डीपीसी/काउंसलिंग/2025-47299 (Rajkaj Ref No. 21856384) दिनांक 28.04.2026, संशोधित आदेश (RajKaj Ref No.: 21989291) दिनांक 04.05.2026 तथा संशोधित आदेश (RajKaj Ref No.: 22115707) दिनांक 10.05.2026 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में डीपीसी वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति उपरांत पदस्थापन हेतु आयोजित ऑनलाईन काउंसलिंग में कार्मिकों के स्वयं द्वारा चयनित स्थानों में से उनके वरीयता अनुसार एवं काउंसलिंग में भाग नहीं लेने वाले कार्मिकों को पूर्णतः सिस्टम द्वारा रेण्डमाईजेशन प्रक्रिया द्वारा पदस्थापन संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर कोच (प्रशिक्षक खेलवार) स्कूल शिक्षा (पे लेवल-12) में पदोन्नति पर निम्नांकित शर्तों/निर्देशों के अध्यक्षीन पदस्थापित किया जाता है:-

1. उक्त चयनित अभ्यर्थियों में से ऐसे कार्मिक जिनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पत्ति से संतानों की संख्या दो से अधिक होने के कारण प्रथम बार पदोन्नति देय हो रही है, उसका वेतन, कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95 पार्ट दिनांक 16.03.2023 में प्रदत्त निर्देशानुसार, नियत किया जाएगा। उक्त चयन, कार्मिक विभाग की संतान संबंधी अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर डीबी सिविल याचिका संख्या 13218/2024 व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।
2. संबंधित नियंत्रण अधिकारी/संस्था प्रधान कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्मतिथि एवं धारित अर्हता एवं विभागीय जांच (सीसीए नियम 16 में) बकाया नहीं होने का मिलान कर पुष्टि करेंगे।
3. ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिव्यांगता प्रमाण पत्र को आधार पर हुई है तथा जो पूर्ण रूप से नेत्रहीन/दृष्टिहीन है उनको छोड़कर शेष दिव्यांग कार्मिकों को कार्यग्रहण करवाने संबंधी प्रकरणों में सभी संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) से सम्पर्क स्थापित कर दिव्यांग कार्मिकों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें एवं कार्मिकों के दिव्यांगता/दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच मेडिकल बोर्ड के माध्यम से करवाये जाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करावें।
4. माननीय न्यायालय में दायर न्यायिक वादकरण के संबंध में संबंधित नियंत्रण/मण्डल अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
5. संबंधित समस्त चयनित कार्मिकों की उक्त पदोन्नति/पदस्थापन संबंधित अपीलों/याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।
6. जनगणना कार्य हेतु कार्यरत कार्मिकों को जनगणना हेतु प्राधिकृत अधिकारी की सक्षम स्वीकृति के उपरान्त ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।



7. एक से अधिक विषय में पदस्थापन होने के कारण जिन प्राध्यापकों द्वारा किसी भी विषय में यथावत कार्यग्रहण कर लिया गया था, के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.04.2025 की अनुपालना में उक्त प्राध्यापकों का अन्य चयनित किसी भी विषय हेतु कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त स्वीकृति उन प्राध्यापकों हेतु ही प्रदान की गई है, जिनका चयन एक से अधिक विषयों में हुआ है।
8. संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि यदि पूर्व में कोई उपप्राचार्य पद पर पदोन्नत कार्मिक यथावत कार्यरत है तो उक्त उपप्राचार्य को अधिशेष कार्मिक के रूप में ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाया जाकर नव पदोन्नत प्राध्यापक को अनिवार्य रूप से मूल पद पर ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
9. अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय में वस्तुस्थिति बतलाते हुए इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो, प्रभावित कार्मिकों के संबंध में कार्यालय से अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावे।
10. संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज आवश्यक रूप से शाला दर्पण पर अपडेट करावें।
11. **पदोन्नत कार्मिकों को दिनांक: 16.05.2026 तक नवपदोन्नत पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा।**

संलग्न-सूची खेलवार 07 कार्मिक।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर एवं

पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),

समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/कोच प्रशिक्षक डीपीसी पदस्थापन 2023.24 2024-25/06858







दिनांक -यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय (विद्यालयी/संस्कृत) विभाग एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा व पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
8. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को पाबंद किया जाता है कि अपने जिले के चयनित कार्मिकों के उक्तानुसार पदस्थापन हेतु कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण किये जाने के कार्य का प्रभावी प्रबोधन करेंगे।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माशि व प्राशि/डाइट्स/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
10. स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक), कार्यालय हाजा।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
12. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ/डीपीसी/वरिष्ठता एवं नियम/विभागीय जांच/प्राथमिक जांच अनुभाग कार्यालय हाजा।
13. संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि-

- माननीय न्यायालय में दायर न्यायिक वादकरण के संबंध में संबंधित नियंत्रण/मण्डल अधिकारियों को पाबन्द किया जाता है कि वे पदोन्नति पर कार्यग्रहण करवाते समय लोक सेवक से "संतान संबंधी घोषणा पत्र" प्राप्त करें एवं ऐसे लोक सेवक जिनकी 01.06.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पत्ति से संतानों की संख्या दो से अधिक है एवं उनकी पदोन्नति पूर्व में इससे प्रभावित नहीं हुई है, के "संतान संबंधी घोषणा पत्र" संबंधित मण्डल कार्यालय के माध्यम से समेकित कर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।
  - लम्बे समय से अनुपस्थित/निलंबित कार्मिक को पदोन्नति पर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए इसकी सूचना इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. **sectionpersonalc3@gmail.com** पर प्रेषित करावें।
  - जिन कार्मिकों के विरुद्ध सीसीए 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है उनके संबंध में कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
  - मातृत्व अवकाश स्वीकृत कार्मिकों को अवकाश समाप्ति पश्चात उसके आगामी कार्यदिवस में नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।
  - कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011जयपुर दिनांक 19.01.2023 की पालना करते हुए कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से संबंधित आगामी कार्यवाही हेतु।
14. संबंधित कार्मिक को पालनार्थ।
15. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

Sr.No	Seniority No	Sub Seniority No	Seniority Year	Selection Year	Selection Category	Selection Date	Name	Employee ID	Date of Birth	Gender	Promoted Post/Sub/GAME	Category	Disabled Type	Present Posting Place	Select Posting Place	District	Photo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1911			2023-24	UR	01-04-23	ANITA	RJL201321030646	06-06-1986		COACH VOLLYBALL			GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL WARD NO. 14 RAWATSAR (214714)	MAHARANI GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BIKANER (211259)	BIKANER	
2	812			2024-25	UR	01-04-24	BHAGIRATH PRAJAPAT	RJCR201312034806	12-01-1990		COACH VOLLYBALL			SHAHEED RAJENDRA SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LALGARH (215520)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SADUL SPORTS BIKANER (211246)	BIKANER	
3	1868			2024-25	UR	01-04-24	GOPAL SINGH BITHU	RJB1200309001614	07-01-1979		COACH VOLLYBALL			MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NORANGDESAR (476618)	Office of Govt. Physical Education College, Jodhpur	JODHPUR	
4	332			2024-25	UR	01-04-24	DEEPIKA ARORA	RJAL201302008707	28-09-1985		COACH BASKETBALL			MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SAHDOLI (215661)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SADUL SPORTS BIKANER (211246)	BIKANER	
5	716			2024-25	UR	01-04-24	RAKESH KUMAR	RJHA200416002938	20-11-1979		COACH HANDBALL			GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHAMBER (212313)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SADUL SPORTS BIKANER (211246)	BIKANER	
6	1434			2024-25	UR	01-04-24	RAM RAJ SINGH	RJBP201307036037	07-12-1979		COACH FOOTBALL			MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL CHANDLAI (474030)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SADUL SPORTS BIKANER (211246)	BIKANER	
7	1461			2024-25	UR	01-04-24	BALWANT CHOUDHARY	RJPA201329023711	07-01-1987		COACH HOCKEY			PM SHRI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DAIKADA (219116)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHIMGAMANDI KOTA (216823)	KOTA	